न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 58/2017 G.C.M.S. No. 2017/00365 दर्ज दिनांक : 18.09.2017

अपीलार्थिगण:

1. लूंबाराम पुत्र नारायण, जाति माली, निवासी निम्बोल, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
2. सोनीदेवी पत्नि लूंबाराम, जाति माली, निवासी निम्बोल, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. उंकारसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
2. नारायणसिंह पुत्र उंकारसिंह, जातियान राजपूत, निवासी निम्बोल, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण, जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 263/2013 बअनवान उंकारसिंह वगैरह बनाम लूंबाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 05.06.2017 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सुतीक्ष्णसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 20.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 263/2013 बअनवान उंकारसिंह वगैरह बनाम लूंबाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 05.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट द्वारा जिस स्थान से रास्ते की मांग की गई हैं उस स्थान पर अपीलार्थी का रहवासीय मकान बना हुआ है। इस बारे में भी पटवारी ने रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया है। वास्तव में खसरा नं0 844/1 एवं 844 की भूमि पर से कोई रास्ता खसरा नं0 845 पर आने हेतु चलता ही नहीं हैं। रेस्पोंडेन्ट ने खसरा नं0 845 की भूमि हाल ही में क्रय की हैं। यह भूमि उनकी पुश्तैनी भूमि नहीं है। खसरा नंबर 845 के चिपते ही खसरा नं0 841 की भूमि स्थित हैं। जो रेस्पोंडेन्ट के खातेदारी की है तथा खसरा नं0 841 में आवागमन हेतु इसके पूर्व में स्थित खसरा नं0 की भूमि में से रास्ता पहले से ही रेस्पोंडेन्ट को उपलब्ध है तथा इस खसरा नं0 841 में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पहुंच जाने के बाद इसके चिपते ही स्थित खसरा नं0 845 में रेस्पोंडेन्ट आवागमन करता है। इस प्रकार वास्तव में रेस्पोंडेन्ट को कोई रास्ते की आवश्यकता ही नहीं हैं। यह कि पटवारी ने उसी दिन मौके की मनमानी रिपोर्ट रेस्पोंडेन्ट के कहे अनुसार बनाकर पेश कर दी एवं उसी को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला कर दिया। उक्त रिपोर्ट अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये मनमाने ढंग से तैयार कर पेश कर दी गई। जो मौके के हालात से बिल्कुल विपरीत है। पटवारी ने जांच रिपोर्ट तैयार करते समय वैकल्पिक रास्ते के बारे में कोई जांच नहीं की, जबकि इसके बारे में जांच की जाना जरूरी था। नियमानुसार निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध करवाये जाने का कानून में प्रावधान है। परन्तु पटवारी ने बिल्कुल ही गलत रिपोर्ट बनाकर पेश की एवं वैकल्पिक रास्ते के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। रेस्पोंडेन्ट ने खसरा नं0 845 की भूमि पूर्व के खातेदार से क्रय की एवं इसके बाद अपीलार्थीगणों पर यह दबाव डालना शुरू किया कि वे भी खसरा नं० 844/1 व 844 की भूमि रेस्पोंडेन्ट को बेच देवे ताकि खसरा नं0 841 से लगाकर 844 की भूमि उसे एक बड़े चक के रूप में उपलब्ध हो जावें। परन्तु अपीलार्थी इस हेतु सहमत नहीं हुए तब अपीलार्थीगण पर अनुचित दबाव डालने के उद्देश्य से धारा 251–ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जबकि उन्हें किसी रास्ते की आवश्यकता ही नहीं हैं। जिस भूमि पर से रास्ते की मांग की गई उस भूमि के सभी खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार ही नहीं बनाया गया। धारा 251–ए का प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित था, जहां पक्षकारान की पैरवी उनके अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही थीं। परन्तु पत्रावली को यकायक कैम्प कोर्ट में ले जाकर बिना सुनवाई के निर्णित कर दिया जबकि ऐसे प्रकरणों को कैम्प कोर्ट में ले जाकर निर्णित नहीं किया जा सकता एवं स्वयं राज्य सरकार ने इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किये हुए हैं। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों की पूर्णतया अवहेलना कर उक्त विधिविरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकर की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट्स व दीगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध ग्राम निंबोल तहसील जैतारण में स्थित खातेदारी आराजी खसरा संख्या 845 तक पहुंच के लिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 05.06.2017 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।

2. अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थीं। दिनांक 12.09.2017 को पटवारी मौके पर आने व अपीलार्थी की भूमि से रास्ता निकालने का आदेश होने का कहने पर जानकारी हुई। जिसकी नकल हेतु आवेदन कर दिनांक 13.09.2017 को नकल प्राप्त हुई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं कर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 845 तक पहुंच हेतु रास्ते की मांग की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा खसरा संख्या 844 तथा 844/1 में से उक्त खसरान की पश्चिमी सीमा के सहारे रास्ता स्वीकृत किया गया। अपीलांट खसरा संख्या 844 के खातेदार है। जबकि अप्रार्थी संख्या 3 से 11 खसरा संख्या 844/1 के खातेदारान है। अपीलांट द्वारा खसरा संख्या 844/1 के खातेदारान एवं अपीलाधीन आदेश के अप्रार्थी संख्या 3 से 11 को पक्षकार संयोजित नहीं करते हुए हस्तगत अपील प्रस्तुत की हैं। जबकि अप्रार्थी संख्या 3 से 11 प्रकरण में न केवल आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है, बल्कि अपीलाधीन आदेश में बतौर अप्रार्थी संख्या 3 से 11 तक संयोजित है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील आवश्यक पक्षकारान के कुसंयोजन से ग्रस्त है।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट सहित अप्रार्थी संख्या 1 से 11 की ओर से दिनांक 13.01.2014 को अधिवक्ता श्री रामस्वरूप चौधरी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, प्रकरण में दिनांक 28.05.2014 को तहसीलदार की ओर से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र हेतु नियत रही। अपीलांट सहित अप्रार्थीगण द्वारा लंबे समय तक व बार–बार जवाब प्रार्थना पत्र हेतु अवसर चाहा गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया। दिनांक 11.12.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब का अवसर बंद किया गया तथा दिनांक 05.06.2017 को प्रकरण में पुनः जांच प्रतिवेदन भू.अ.नि. द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

गया। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध भू.अ.नि. निम्बोल की जांच रिपोर्ट एवं नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 845 एवं निकटतम सड़क मार्ग के मध्य खसरा संख्या 844 व 844/1 स्थित है। अर्थात खसरा संख्या 845 तक पहुंच के लिए कोई पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं हैं तथा रास्ते की मांग आत्यंतिक आवश्यकता पर आधारित है। भू.अ.नि. द्वारा बोगासनी–निम्बोल सड़क मार्ग से खसरा संख्या 844/1 व 844 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जोकि निकटतम दूरी का रास्ता है। अपीलांट द्वारा भी उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम दूरी का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है, जिससे स्पष्ट हो कि प्रार्थीगण को जोत तक पहुंच के लिए पहले से पहुंच मार्ग उपलब्ध हों। अतः हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई कानूनन भूल नहीं की हैं। अतः अपीलांट का उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होती हैं एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री समर्थन योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 263/2013 बअनवान उंकारसिंह वगैरह बनाम लूंबाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 05.06.2017 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner